

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.03.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2208 का उत्तर

रेल मोबाइल जल प्रदाय योजना

2208. श्री निशीथ प्रामाणिक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार रेलवे की 'रेल मोबाइल जल प्रदाय योजना' के तहत यात्रियों को पर्याप्त जल मिलने की निगरानी कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पश्चिम बंगाल में जनता को इसका लाभ मिल रहा है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क): रेलवे ने रेल मोबाइल जल योजना नामक कोई भी योजना लागू नहीं की है। बहरहाल, पश्चिम बंगाल सहित भारतीय रेल का अपने समूचे नेटवर्क पर यात्रियों के लिए पर्याप्त पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सदैव प्रयास रहता है। साफ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति 'रेल नीर' बोतलबंद पीने का पानी, पैकेज्ड पीने के पानी के अन्य अनुमोदित ब्रांडों, वेंडिंग मशीनें और स्टेशनों पर उपलब्ध पानी के बूथ/नलकों के माध्यम से की जाती है। फरवरी, 2013 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी "एकसमान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल" को अपनाने संबंधी अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि स्टेशनों पर रेल यात्रियों को नलों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पीने के पानी को सप्लाई बिंदु से पहले आवश्यकतानुसार पर्याप्त रूप से परिशुद्ध किया जा सके।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता।
